कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 5084/11–सी–FP/UP/Road/30203/2017, लखनऊ, दिनांकः मई 29 ,2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसढ़ चौराहे से बाघागाड़ा तक) किमी0 0.000 से 3.250 तक के फोर लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के कार्य में प्रभावित 4.225 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 226 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/45/2018/एफ0सी0/103, दिनांक–11.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर ने अपने पत्रांक–5975/2–6, दिनांक–23.05.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–यथोक्त्।

भवदीय,

29/5/18

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– FP/UP/Road/30203/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, गोरखपुर।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1945